



എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ
(രൊഴിയില്ലായ്മ, ഭാരതസർക്കാർ)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



സബ് റീജിയണൽ ഓഫീസ്/उप क्षेत्रीय कार्यालय/SUB REGIONAL OFFICE
ഹൗസ്ഫെഡ് കോംപ്ലക്സ് ശാസ്ത്രീ നഗർ റോഡ് എറന്ഹിപാലം.
കോഴിക്കോട്-673006
हाउसफेड कॉम्प्लेक्स शास्त्री नगर रोड एरन्हिपालम कोषिकोड-673006
Housefed Complex Sastri Nagar Road, Eranhpalam P.O
Kozhikode-673006
Phone:0495-2772270/2772260/2772250
E-mail: dir-kozhikode@esic.gov.in

सं. 72. ए.49.13(2).2023 .रा.भा.

दिनांक: 05.05.2026

परिपत्र/Circular

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना वर्ष 2026-27

Subject : Official language Implementation suggestion award scheme year 2026-27.

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/16/03/2007-रा.भा.,दिनांक 17.04.2026 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना से संबंधित शर्तें निम्नानुसार हैं :-

In pursuance of Hqrts letter no A-49/16/03/2007-.O.L, dated 17.04.2026, It is informed that Official language implementation suggestion award scheme has been implemented to promote and publicize Hindi in the corporation offices. The conditions related to this scheme are asgivenbelow :-

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येकवित्त वर्ष (01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) के दौरान प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है जिन्हें निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो।
There is a provision of cash awards and commendation certificate for the suggestions received during every financial year(from 1st April to next 31st March) which are found useful in promoting use of Hindi in the Corporation offices.
2. इस योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) भाग ले सकते हैं। तथापि निगम कार्यालयों में तैनात हिंदी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
All the officers and employees of the corporation (Medical and non-Medical) can participate in this scheme. However, Hindi officials posted in the Corporation offices can not participate in this award scheme.
3. एक सुझाव पर पुरस्कार राशि अधिकतम ₹3000/- और न्यूनतम ₹600/- होगी तथा प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर ₹12,000/- तक की राशि के पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।
Maximum amount of award for a suggestion will be₹3000/- and minimum will be ₹600/- and a total prize amount upto₹12000/- will be sanctioned every year.
4. सुझाव देने वाले कार्मिक अपने सुझाव, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।
Personnel can send his/her suggestion through Officer concerned or directly to Rajbhasha branch of Hqrts.
5. प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा समिति की सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।
The suggestions received during each financial year will be considered by the Evaluation Committee constituted at the Headquarters and prizes will be decided on the recommendations of the Committee.

-2-

6. उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा।
Useful/rewarding suggestions will also be given proper publicity mentioning the name of the rewarding employee.

कृपया सहकर्मियों/अधीनस्थों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
Please give wide publicity to the scheme among colleagues/subordinates.

यह परिपत्र संयुक्त निदेशक (प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This circular is being issued with the approval of Joint Director (i/c).

अनुलग्नक/Encloser:

- मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.

Digitally signed by
Girish C
Date: 05-05-2026
21:24:30

(गिरीष सी/Girish C)
सहायक निदेशक /Assistant Director

प्रति/Copy :-

- 1) महानिदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
Director, General, Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
- 2) उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालयों के सभी कार्मिक।
All officials of Sub Regional Office, Kozhikode and Subordinate Branch Offices.
- 3) वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
Website Content Manager with a request to upload it on the website.